आठवें फ़िक़्ही सेमिनार में जो कि 22-24 अक्टूबर 1995 ई0 को अलीगढ में आयोजित हुआ, एड्ज़ की बीमारी के सम्बन्ध में ख़ास तौर से फ़िक़्ही सिद्वांतों को स्पष्ट किया गया। (एड्ज़ जैसी किसी भी यौन बीमारी के लिए यह सिद्वांत लागू होते हैं।)

1- अगर कोई मर्द एड्ज़ का मरीज़ हो और उसने अपनी बीमारी छुपाकर किसी औरत से निकाह कर लिया हो तो इस स्थिति में औरत को खुलाअ लेने और निकाह को ख़त्म कराने का अधिकार हासिल होगा। अगर निकाह के बाद मर्द इस बीमारी से ग्रस्त हो जाए और उसकी बीमारी घातक हो जाए तो इस स्थिति में भी औरत को निकाह से आज़ाद होने का हक़ होगा।

2- एड्ज़ से ग्रस्त कोई औरत अगर गर्भवती हो जाए और डाक्टरों का यह पक्का विचार हो कि होने वाला बच्चा भी निश्चित रूप से इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है तो इस स्थिति में भ्रूण में जान पड़ने से पहले पहले जिसकी अवधि फ़िक़्ह के इमामों ने 120 दिन बताई है, गर्भपात कराने की इजाज़त दी जा सकती है।

3- कोई व्यक्ति एड्ज़ की बीमारी में पूरी तरह ग्रस्त हो गया और अपने जीवन की गतिविधियां करने से मजबूर हो गया हो तो उस व्यक्ति को मृत्युरोगी (मौत का मरीज़) समझा जाएगा।

4- एड्ज़ से पीड़ित आदमी की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह अपने घर वालों और सम्बन्धियों को इस ख़तरे से आगाह कर दे और ख़ुद भी सावधानी बरते।

5- एड्ज़ का मरीज़ अगर अपनी बीमारी को छुपाने पर ज़ोर दे, लेकिन डाक्टर की राय में उसकी बीमारी को गुप्त रखने से उसके सम्बन्धियों और समाज को नुक़सान पहुंचने की पूरी आशंका हो तो डाक्टर की यह ज़िम्मेदारी है कि वह स्वास्थ विभाग और सम्बन्धित लोगों को इसकी सूचना दे दे।

6- एड्ज़ और इन जैसी अन्य घातक और छुआछूत वाली बीमारियों में लिप्त लोगों के बारे में उनके घर वालों, सम्बन्धियों और समाज की यह ज़िम्मेदारी है कि उनको अकेला और बेसहारा न छोड़ें, सावधानी पूर्वक उनकी देखभाल करें और उनका इलाज़ कराएं।

7- एड्ज़ से ग्रस्त बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना ठीक नहीं है। सावधानी बरतते हुए उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए।

8- प्लेग जैसी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में आने जाने पर पाबंदी एक अच्छा उपाय है, लेकिन मजबूरी और ज़रूरत की स्थिति में पाबंदी में ढील दी जा सकती है।

9- एड्ज़ से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर जान बूझ कर किसी स्वस्थ आदमी को इससे प्रभावित करे तो ऐसा करना हराम है, और शरीअत की नज़र में बडे गुनाहों में से है। ऐसा करनेवाला व्यक्ति अपने जुर्म के प्रभाव के अनुरूप सज़ा भुगतने का हक़दार है।

☆☆☆